(21)

संशोधित

संख्या: [illegible] /XVII(2)/2008-29(सै0क0)/[illegible]

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून दिनांक: [illegible] ,जनवरी 2008

विषय: सैनिक विश्राम गृह अधिवासन नियमावली-2002 में आवश्यक संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या:-423-सै.क.-02-29(सैनिक कल्याण)/2002 दिनांक 08 नवम्बर, 2002, संशोधित शासनादेश संख्या:- 226/XVII(1)/04-09(29)/2002, दिनांक 28 सितम्बर, 2004 एवं संशोधित शासनादेश संख्या:-326/XVII(2)/2007-29(सै.क.)/2002, दिनांक 13 सितम्बर, 2007 तथा आपके पत्र संख्या:-4003/सै.क./सै.वि.गृ. नियमावली/संशो. दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय "उत्तराखण्ड सैनिक विश्राम गृह अधिवासन नियमावली-2002" में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

| क्र.सं. | सन्दर्भ | पूर्व प्रस्तर | संशोधित प्रस्तर |
|---|---|---|---|
| 1. | खण्ड-एक प्र-2(ज), (झ) एवं (ञ) | नवीन प्रस्तर सम्मिलित किया जा रहा है। | 2(ज) - "सामान्य पर्यटक" का तात्पर्य ऐसे पर्यटकों से है, जो पर्यटन विभाग के मानक के अनुसार पर्यटक की श्रेणी में आते हैं।<br>2(झ) - "गाइड" का तात्पर्य ऐसे पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों से है, जो पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के सम्यक योग्यता/अर्हता धारित करते हों। पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों की अनुपलब्धता की स्थिति में सामान्य नागरिक भी गाइड की श्रेणी अंतर्गत परिभाषा में सम्मिलित समझे जायेंगे।<br>2(ञ) - "ब्लॉक प्रतिनिधि" का तात्पर्य सैनिक कल्याण विभाग में कार्यरत ऐसे ब्लॉक प्रतिनिधियों से है, जिन्हें प्रतिमाह 2000/- की दर से मानदेय भुगतान किया जा रहा हो। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | खण्ड-दो प्र-1 (ख) | विश्राम गृह में कार्यरत सैनिक अधिकारी/सैनिक, पूर्व सैनिक व अर्द्ध सैनिक संगठन के अधिकारी, कर्मचारी तथा उत्तरांचल सचिवालय में सैनिक कल्याण सम्बन्धी कार्य करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी ठहर सकते हैं। उनके उपरोक्त वर्णित आश्रितों को छोड़कर अधिवासन करने वालों के साथ उनके संबंधी, मित्र और नौकर आदि नहीं ठहर सकते हैं। | विश्राम गृह में कार्यरत सैनिक अधिकारी/सैनिक, पूर्व सैनिक व अर्द्ध सैनिक संगठन के अधिकारी, कर्मचारी तथा उत्तराखण्ड सचिवालय में कार्य करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी ठहर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त उपलब्धता की स्थिति में सामान्य पर्यटक भी अधिवास कर सकेंगे। उनके उपरोक्त वर्णित आश्रितों को छोड़कर अधिवासन करने वालों के साथ उनके संबंधी, मित्र और नौकर आदि नहीं ठहर सकते हैं। |
| 3. | खण्ड-तीन प्र-1 क्रमांक (5) एवं (6) | नवीन प्रस्तर सम्मिलित किया जा रहा है। | (5) सामान्य पर्यटकों से किराया निर्धारण गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊं मण्डल विकास निगम के पर्यटक गृहों में निर्धारित किराये की दर तथा विश्राम गृह में उपलब्ध सुविधाओं के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण ढंग से निर्धारित किया जायेगा अथवा जो दर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय।<br>(6) "गाइड", जिसका सम्पूर्ण विवरण/सम्पर्क सूत्र जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एवं स्थानीय प्रतिनिधियों के पास उपलब्ध रहेगा तथा जिसे विश्राम गृह के व्यवस्थापक कार्यालय एवं संबंधित जनपद के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में चस्पा भी किया जायेगा, जिसे विश्राम गृह के अन्तःवासियों की मांग एवं सुविधा के अनुसार व्यवस्थापक एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा गाइड को पारिश्रमिक का नियमानुसार पारिश्रमिक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी व्यवस्थापक एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की रहेगी, जिसका भुगतान संबंधित अन्तःवासी द्वारा ही किया जायेगा। |

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:-846(P)/वि.अनु.-3/2007 दिनांक 21 जनवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रही है।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)

सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- (1)/XVII(2)/2008-29(सै0क0)/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0, देहरादून।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि नियमावली की 1000 प्रतियां मुद्रित कर सैनिक कल्याण अनुभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अरुण कुमार ढौंडियाल)

अपर सचिव।